इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपञ्च

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 नवम्बर 2024-अग्रहायण 4, शक 1946

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2024

फा. क्र. 84(6)—चार—2024—वि.निर्वा.—उप चु.—230.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, 02—विजयपुर एवं 156—बुधनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त पद को भरने हेतु निर्वाचन के परिणाम की घोषणा प्ररूप 21—घ का हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

बसंत कुरें, अपर सचिव.

प्ररूप 21-घ

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(नियम 64 देखिए)

(आकरिमक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 02-विजयपुर (सामान्य) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हं कि :-

श्री मकेश मल्होत्रा, ग्राम व पोस्ट सिलपुरी, तहसील कराहल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं.

उस सदन में.-

श्री रामनिवास रावत. म.नं. 5 / क. ग्राम सनवई, तह. विजयपुर के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक्रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

ः श्योपुर

तारीख : 23 नवम्बर 2024.

मनोज गरवाल

रिटर्निंग आफिसर.

02-विजयपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र.

FORM 21-D

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

(See Rule 64)

(For use in Election to Fill a Casual Vacancy when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh From 02-Vijaypur (Gen.) Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

SHRI MUKESH MALHOTRA, Gram & Post Silpuri, Teh. Karahal sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the Vacancy Caused in that House by the

Resignation of SHRI RAMNIWAS RAWAT, H.N. 5-A, Gram Sunbai, Teh. Vijaypur having been declared.

Place:

Sheopur

Date: 23rd November 2024.

MANOJ GARWAL

Returning Officer,

02-Vijaypur Legislative Assembly Constituency.

प्ररूप 21-घ

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश) (नियम 64 देखिए)

(आकरिंमक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

156-बुधनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में निर्वाचन आचरण नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, मैं, घोषणा करता हं कि :--

श्री रमाकान्त भार्गव, शाहगंज तहसील बुधनी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खडे किए गए हैं.

उस सदन में.-

श्री शिवराज सिंह चौहान, पता—ग्राम जैत, तहसील बुधनी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यकरूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान ः सीहोर

तारीख : 23 नवम्बर 2024.

दिनेश सिंह तोमर

रिटर्निंग आफिसर.

156-बधनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र.

FORM 21-D

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

(See Rule 64)

(For use in Election to Fill a Casual Vacancy when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh From 156-Budhni Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:-

SHRI RAMAKANT BHARGAVA, Shahganj, Tehsil, Budhni, District Sehore, Madhya Pradesh sponsored by Bhartiya Janata Party has been duly elected to fill the Vacancy Caused in that House by the

Resignation of Mr. SHIVRAJ SINGH CHOUHAN, Jait, Tehsil Budhni, Distt. Sehore, Madhya Pradesh having been declared.

Place: Sehore

Date: 23rd November 2024.

DINESH SINGH TOMAR

Returning Officer,

156-Budhni Legislative Assembly Constituency.